<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-335/2021/1526/41-2020-128(बजट)/2018</u>

लखनऊ दिनांक 21 जून, 2021

<u>संख्या-326/2021/1526/41-2021-128(बजट)/2018, दिनांक 11 जून, 2021</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-वाईएएन-28/2018 (क्र0सं0-जीएच-11 वाई 000265) के अन्तर्गत विधानसभा लखीमपुरी खीरी में सेठ घाट मंदिर के पास महिला घाट के निर्माण एवं पर्यटन विकास कार्य की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-326/2021/1526/41-2021-128(बजट)/2018, दिनांक 11 जून, 2021 के प्रस्तर-**2** की दूसरी पंक्ति में कार्यदायी संस्था "उ0प्र0 राज्य सहकारी संघ लि0" त्रुटिवश टंकित हो गया है, जबकि इसके स्थान पर "उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0" टंकित होना चाहिए था।

2. अत: शासनादेश संख्या-326/2021/1526/41-2021-128(बजट)/2018, दिनांक 11 जून, 2021 के प्रस्तर-2 की दूसरी पंक्ति में टंकित कार्यदायी संस्था "उ0प्र0 राज्य सहकारी संघ लि0" को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर कार्यदायी संस्था **"उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0"** पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 11 जून, 2021 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. अत: शासनादेश संख्या-326/2021/1526/41-2021-128(बजट)/2018, दिनांक 11 जून, 2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

<u>समय व दिनांक तदैव::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
8- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 यूनिट-1, सीतापुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in